पटवारी पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास

जेसीबी चालक सहित पांच पर केस, तीन गिरफ्तार

नवभारत न्यूज़

खंडवा। जिले के जावर सर्किल अंतर्गत ग्राम भकराडा में मुरम के अवैध उत्खनन के दौरान सरकारी कार्रवाई पर हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रविवार को गश्त के दौरान हल्का पटवारी मयंक फुलेरिया को भकराडा में शासकीय भूमि पर अवैध खनन की सूचना मिली।

मौके पर पहुंचने पर एक जेसीबी और चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मुरम निकालते हुए पाई गईं, जिन्हें पास के क्षेत्र में ले जाया जा रहा था।

पटवारी को देखकर सभी चालक मौके से भागने लगे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक ने दुस्साहस दिखाते हुए पटवारी पर ही ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे उनकी जान पर बन आई। हालांकि पटवारी ने सतर्कता से खुद को बचा लिया। घटना के दौरान अफरा-तफरी मच गई और चालक अपने-अपने वाहन लेकर फरार हो गए, लेकिन एक जेसीबी मशीन गड्ढे में फंस गई, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया।

घटना की सूचना तत्काल नायब तहसीलदार और तहसीलदार को दी गई, जिसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुई। जावर थाने में अवैध उत्खनन, शासकीय कार्य में बाधा और जान से मारने के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में जेसीबी चालक समेत पांच आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

प्रशासन के अनुसार, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेसीबी चालक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो ट्रैक्टर चालक अभी फरार हैं। बिना नंबर के दो ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

एडीएम काशीराम बड़ोले ने बताया कि अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद क्षेत्र में सघन निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी गई है, जिससे खनन माफिया में हड़कंप मच गया है।

बिना लाइसेंस और किराए के कागजों पर चल रही दवा दुकानें

नवभारत न्यूज़

खंडवा। जिले में स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे फार्मेसी के नाम पर काला खेल चल रहा है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए जिले भर में ऐसी दर्जनों मेडिकल स्टोर्स संचालित हो रहे हैं, जिनके पास न तो वैध लाइसेंस है और न ही कोई योग्य फार्मासिस्ट। आलम यह है कि विभाग की सुस्ती ने इन संचालकों के हौसले इतने बुलंद कर दिए हैं कि वे अब बिना डॉक्टर के पर्ची के शेड्यूल- ।। जैसी घातक दवाइयां भी टॉफी-बिस्कुट की तरह बेच रहे हैं।

किराए के लाइसेंस पर कागजी फार्मेसी - मीडिया रिपोर्ट्स और धरातल की पड़ताल में यह कड़वा सच सामने आया है कि खंडवा में लाइसेंसों की खरीद-फरोख्त का धंधा फल-फूल रहा है।

डिग्री किसी की, दुकान किसी की -कई रसूखदार संचालकों ने डिग्री धारक फार्मासिस्टों को हर महीने एक निश्चित राशि देकर उनके लाइसेंस किराए पर ले रखे हैं।

मौके से नदारद फार्मासिस्ट-नियमों के मुताबिक दुकान पर फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन हकीकत में दुकान कम पढ़े-लिखे लड़के चला रहे हैं जिन्हें दवाओं के साल्ट और उनके साइड इफेक्ट्स का कतई ज्ञान नहीं है।

बिना पर्ची के बिक रहा जहर-सबसे खौफनाक पहलू यह है कि इन दुकानों पर बिना किसी डॉक्टरी परामर्श के प्रतिबंधित और नशीली दवाइयां धड़ल्ले से दी जा रही हैं।

नशे की गिरफ्त में युवा - नींद की गोलियां और कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए हो रहा है, जिसे ये संचालक चंद रुपयों के लालच में आसानी से उपलब्ध करा रहे हैं।

गलत डोज का खतरा-बिना पर्ची के एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉइड्स देने से मरीजों में ड्रग रेजिस्टेंस और अन्य गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं।

विभाग सुस्त, संचालक मस्त -हैरानी की बात यह है कि ड्रग विभाग के पास इन अवैध गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है। जब कभी मीडिया में खबरें उछलती हैं, तो विभाग नींद से जागता है और एक-दो दुकानों पर दिखावे की सीलिंग कर दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र बोरगांव बुजुर्ग, पंधाना, छैगांवमाखन, मूंदी, पुनासा सहित शहर की तंग गलियों में चल रही दुकानों का महीनों तक कोई निरीक्षण नहीं होता। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग और संचालकों के बीच नियमित तालमेल है, जिसके कारण इन पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। यह केवल नियम का उल्लंघन नहीं, बल्कि जिले की जनता के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा अपराध है। अगर समय रहते प्रशासन ने इन लाइसेंस माफियाओं पर नकेल नहीं कसी, तो किसी बड़ी अनहोनी की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी। इस संबंध में जब जिले के ड्रग इंस्पेक्टर मनजीत जामले से बात करना चाहा तो उन्होंने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा

आखिर कब होगा अवैध रूप से संचालित इन दुकानों का औचक निरीक्षण?

- किराए पर लाइसेंस देने वाले फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन रद्द क्यों नहीं किए जा रहे?

-बिना पर्ची दवा बेचने वालों पर ड्रग एक्ट के तहत कड़ी एफआईआर क्यों नहीं होती?

पॉक्सो प्रकरणों में सपोर्ट पर्सन के लिए प्रशिक्षण आज

नवभारत न्यूज़

खंडवा। जिले में बाल संरक्षण तंत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से न्यायपीठ, बाल कल्याण समिति खंडवा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 6 मई 2026 को प्रात: 11 बजे जनपद पंचायत सभागृह में एक दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से पॉक्सो प्रकरणों में कार्यरत इंपैनल्ड सपोर्ट पर्सन के लिए रखा गया है।

कार्यक्रम में पॉक्सो अधिनियम 2012 तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बच्चों के संरक्षण और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों द्वारा सपोर्ट पर्सन की भूमिका, कर्तव्य, न्यायालयीन प्रक्रिया, बाल मनोविज्ञान, गोपनीयता और केस मैनेजमेंट जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा।

इस कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल संरक्षण पुलिस अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वे अपने अनुभव साझा कर प्रतिभागियों को व्यावहारिक जानकारी देंगे।

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा के अनुसार, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाना है, ताकि पॉक्सो प्रकरणों में पीड़ित बच्चों को संवेदनशील और प्रभावी सहयोग मिल सके।

अमलपुरा उपार्जन केंद्र पर अंतिम दिन भी किसान परेशान

नवभारत न्यूज़

खंडवा। अमलपुरा गेहूं उपार्जन केंद्र पर अव्यवस्थाओं ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रबी उपार्जन की अंतिम तिथि 5 मई होने के बावजूद बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज की तुलाई के लिए लाइन में खड़े रहे। मंगलवार को करीब 97 किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर केंद्र पहुंचे, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण कई किसानों की तुलाई नहीं हो सकी, जिससे उनमें आक्रोश है।

किसानों में नरेश जायसवाल, केशवराम पटेल, हरिशचंद्र पटेल, महेन्द्र पटेल, किशोर यादव, बालकृष्ण तिवारी, पप्पू यादव, अभिषेक निरोले, दीपक यादव, दिनेश खटीक और मनोज चौहान शामिल हैं। किसानों का कहना है कि वे कई दिनों से केंद्र पर आ रहे हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा, जिससे समय और आर्थिक नुकसान दोनों झेलना पड़ रहा है।किसानों के अनुसार केंद्र पर केवल 2 से 3 तौल कांटे संचालित हैं, जबकि कम से कम 6 कांटों की आवश्यकता है।

प्रतिदिन 15 से 20 वाहनों की ही तुलाई हो पाने से समस्या और बढ़ रही है। साथ ही, जगह की कमी और हम्मालों की कमी भी व्यवस्था को प्रभावित कर रही है।किसानों ने सवाल उठाया कि जब गोदाम में पर्याप्त स्थान नहीं था, तो केंद्र को पोर्टल पर दर्ज क्यों किया गया। उनका कहना है कि प्रशासनिक कमियों का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।सेवा सहकारी समिति प्रबंधक नानकराम राठौर ने स्वीकार किया कि हम्मालों और स्थान की कमी के कारण यह स्थिति बनी है।

इनका कहना है

तुलाई कांटे और हम्मालों की संख्या बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए थे। समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा, ताकि किसानों को राहत मिल सके।- **दिनेश सावले, खाद्य एवं जिला आपूर्ति अधिकारी खंडवा**

टीबी के 25 मरीजों को पोषणयुक्त फूड बास्केट बांटे

नवभारत न्यूज़

खंडवा। रेडक्रॉस सप्ताह के अवसर पर भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी खंडवा द्वारा सराहनीय पहल करते हुए मेडिकल कॉलेज सह जिला चिकित्सालय के सभाकक्ष में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 25 टीबी मरीजों को पोषणयुक्त फूड बास्केट वितरित की गई।

इस कार्यक्रम में सोसायटी के सदस्य निक्षय मित्र के रूप में आगे आए और मरीजों के उपचार में सहयोग का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कंचन मुकेश तनवे ने कहा कि टीबी एक गंभीर लेकिन पूर्णत: उपचार योग्य बीमारी है। उन्होंने मरीजों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के भय या संकोच के बिना चिकित्सकीय परामर्श लें और नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करें।

इस अवसर पर भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के सदस्य लखन लाल नागोरी, भानु पटेल,

आशीष अग्रवाल सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। साथ ही रोगी कल्याण समिति के सदस्य भावेश बिल्लौरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत, सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल, जिला क्षय अधिकारी डॉ. शक्तिसिंह राठौड़, अस्पताल अधीक्षक डॉ. रंजीत बड़ोले सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला क्षय अधिकारी डॉ राठौड़ ने बताया कि टीबी के सफल उपचार के लिए दवाइयों के साथ-साथ संतुलित एवं पोषणयुक्त आहार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निक्षय मित्र योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें पोषण आहार, मानसिक सहयोग और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है।

सिंहस्थ की तैयारियों के बीच अतिक्रमण कार्रवाई पर विवाद

नवभारत न्यूज़

ओंकारेश्वर। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी और आगामी मानसून से पहले मकान तोड़े जाने पर स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए गरीबों को बेघर करना अमानवीय है।ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर प्रशासन पर आरोप लगाया कि योजनाबद्ध तरीके से लोगों को उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि विकास कार्य जरूरी हैं तो पहले विस्थापितों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं, राज वैद्य महंत सोमेश्वर गिरी ने भी आश्रमों पर हुई कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि बिना पर्याप्त समय दिए आश्रमों को नुकसान पहुंचाया गया और संतों को सामान तक निकालने का अवसर नहीं मिला।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे थे, इसके बावजूद अचानक कार्रवाई कर उन्हें बेघर कर दिया गया। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि पुनर्वास नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को मिलेगी आर्थिक मदद

खंडवा। जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना एवं संत रविदास स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण एवं ब्याज अनुदान की सुविधा प्रदान की जा रही है।

डॉ अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 18 से 55 वर्ष आयु के आवेदकों को 10 हजार से 1 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। इस पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक मिलेगा तथा गारंटी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। वहीं, संत रविदास स्वरोजगार योजना में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों को 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 7 वर्षों तक देय होगा और गारंटी शुल्क भी शासन द्वारा दिया जाएगा। आवेदक एमपी ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन ने योजनाओं का लाभ लेकर स्वरोजगार अपनाने की अपील की है।

एक नजर अवैध वसूली और ट्रांसफर-पोस्टिंग में गड़बड़ियों के मामले में

सस्पेंड अधीक्षक के खिलाफ जांच तेज, दो सदस्यी टीम गठित

नवभारत न्यूज़

खंडवा। जनजातीय कार्य विभाग में अवैध वसूली और ट्रांसफर-पोस्टिंग में गड़बड़ियों के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जांच तेज कर दी है। सस्पेंड किए गए हॉस्टल अधीक्षक हेमंत सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई अब और गहराती नजर आ रही है। मामले के उजागर होने के बाद इंदौर कमिश्नर ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के निर्देश दिए, जिस पर अमल करते हुए कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने दो सदस्यीय जांच दल गठित कर दिया है। इस टीम को दो दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जांच दल में नायब तहसीलदार अभय भटोरे और जिला कोषालय के सहायक कोषालय अधिकारी महिपाल सोलंकी को शामिल किया गया है। मामला जिले में संचालित 125 छात्रावासों से जुड़े अधीक्षकों से हर महीने दो-दो हजार रुपए की कथित अवैध वसूली से संबंधित है, जिसने पूरे विभाग में हलचल मचा दी है। आरोप यह भी है कि हेमंत सिन्हा ने 30 मार्च को सेवानिवृत्त हुए सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला के लिए बिचौलिए की भूमिका निभाई और नियमों के विरुद्ध किए गए ट्रांसफर व पोस्टिंग के बदले राशि अपने और अपने बेटे के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर करवाई।

जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने हेमंत सिन्हा से उनके और उनके बेटे के यूपीआई से जुड़े बैंक खातों की जानकारी, पैन नंबर और पिछले तीन महीनों का लेन-देन विवरण जांच दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भी तत्परता दिखाते हुए संतोष शुक्ला द्वारा जारी 61 ट्रांसफर और पोस्टिंग आदेशों को निरस्त करवा दिया था। वहीं, जांच प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए हेमंत सिन्हा को निलंबित कर दिया गया।

इस मामले में जय आदिवासी शिकायत कर जांच की मांग की थी। शिकायत में अधीक्षकों से हर महीने 1500 से 2000 रुपए और क्रमोन्नति के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए तक वसूली के आरोप लगाए गए हैं।

साथ ही 61 संस्थानों में वित्तीय अनियमितताओं, निर्माण कार्यों में गड़बड़ी और 50 से अधिक शिक्षकों के अनधिकृत अटैचमेंट की बात भी सामने आई है।

उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला पहले भी विवादों में रह चुके हैं। मंडला में पदस्थापना के दौरान लोकायुक्त की कार्रवाई में उनके पास करोड़ों की संपत्ति मिलने का मामला सामने आया था और बाद में उच्च न्यायालय से भी उन्हें फटकार झेलनी पड़ी थी। फिलहाल पूरे मामले में प्रशासन की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

जनसुनवाई में न्याय मांगने पहुंचे किसान और बेटा गिरफ्तार, कांग्रेस ने उठाए सवाल

नवभारत न्यूज़

खंडवा। जिला मुख्यालय पर आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान मंगलवार को उस समय हंगामा हो गया जब छेगांवमाखन क्षेत्र के ग्राम बरुड निवासी किसान रामनारायण और उनके पुत्र श्याम कुमरावत अपने खेत के रास्ते से जुड़े लंबे समय से लंबित विवाद के समाधान के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। किसान का कहना है कि वे पिछले दो वर्षों से न्याय के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल सकी।

घटना के दौरान दोनों ने जनसुनवाई में अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन कथित रूप से उन्हें कक्ष से बाहर जाने को कहा गया। इस पर वे अपनी बात पर अड़े रहे, जिससे कर्मचारियों के साथ बहस की स्थिति बन गई। प्रशासन के अनुसार, दोनों ने शोर-शराबा किया और माहौल तनावपूर्ण बना दिया, जिसके चलते शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया। जमानत प्रस्तुत न करने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं किसान रामनारायण का आरोप है कि उनके खेत का रास्ता वर्ष 2019 से बंद है, जिससे उनकी जमीन लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी है। उनका दावा है कि निचले स्तर पर उन्हें राहत मिली थी, लेकिन बाद में कथित रूप से उनके खिलाफ आदेश पारित किए गए।इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष (शहर) प्रतिभा रघुवंशी, दीपक मुल्लू राठौर सहित अन्य कांग्रेसजन एसडीएम कार्यालय पहुंचकर किसान की जमानत कराने की प्रक्रिया में जुटे हैं। मामले ने जनसुनवाई व्यवस्था की प्रभावशीलता और लोगों को न्याय मिलने की स्थिति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।